विषय: केंटिलियाम बीमा के आवेदन पत्रों की कमी पूर्तियां हेतु दस्तावेज प्राप्त करने के लिए शिविर लगाने बाबत।

मुख्यमंत्री की बजट घोषणा वर्ष 2017–2018 के अनुसार अधिशीकृत पत्रकारों को केंटिलियाम बीमा की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निदेशालय में आप के जिले के अधिशीकृत पत्रकारों को केंटिलियाम बीमा की सुविधा के लिए आवेदन पत्र भिजवाए गए हैं।

अधिशीकृत पत्रकारों की सुविधा के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की संवीक्षा कर कमी पूर्तियां कराने हेतु विभाग के मुख्यालय की पत्र पंजीयन शाखा तथा समस्त जिला सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालयों में 8 जनवरी से 8 फरवरी 2018 तक एक माह की अवधि में राजकीय कार्य दिवसों में शिविर लगाये जाएंगे।

आप को निर्देश दिए जाते हैं कि उक्त अवधि में शिविर लगाया जा कर जिन आवेदनकारी पत्रकारों द्वारा केंटिलियाम बीमा सम्बंधी दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं किए हैं, उन्हें केंटिलियाम बीमा सम्बन्धी आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर निदेशालय में भिजवाना सुनिश्चित करें। शिविर में शेष रहे अधिशीकृत पत्रकारों के केंटिलियाम बीमा सुविधा के लिए आवेदन पत्र प्राप्त कर समस्त आवश्यक दस्तावेजों के साथ निदेशालय में भिजवाएं। इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दे।

उपनिदेशक (पंजीयन)
सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय
जयपुर (राजस्थान)

संलग्न:–
1. निर्देशान्त प्रचार।
2. आवेदनकारी अधिशीकृत पत्रकारों की सूची।
### राजस्थान सरकार

#### सूचना एवं जनसाम्पर्क निदेशालय

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र. सं.</th>
<th>पत्रकार/आश्रित का नाम</th>
<th>अधिस्वीकरण कार्ड संख्या</th>
<th>वर्तमान में कार्यस्थल संस्थान का नाम एवं पदस्थापन का स्थान</th>
<th>वर्तमान पता</th>
<th>बंधी पता</th>
<th>जन लिथिः</th>
<th>आयु</th>
<th>आश्रित का पत्रकार से संबंध</th>
<th>वार्षिक आय</th>
<th>वर्तमान में किसी भी बिमारी से प्रभावित है अथवा नहीं</th>
<th>यदि बिमार है तो बिमारी की अवधि</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### विशेष नोटः—

1. 21 वर्ष से कम आयु के दो बच्चे मेडिकल्स बीमा पोलिसी के लिए पात्र होंगे।
2. माता–पिता जिनकी आय 2000/- रूपये प्रति माह से कम हो तथा वे संबंधित पत्रकार पर आश्रित हो, मेडिकल्स बीमा पोलिसी के लिए पात्र होंगे।
3. संबंधित पत्रकार द्वारा आश्रितों की जन्मतिथि संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4. वर्तमान/कार्यस्थल पते संबंधी फोटो आईडी: प्रस्तुत करनी होगी।
5. पत्रकार स्वयं एवं आश्रितों का वार्षिक आय प्रमाण पत्र।
6. बिमारी की स्थिति में संबंधित डॉक्टर का प्रमाण पत्र।
7. पत्रकार स्वयं की ई-मेल आईडी एवं मोबाइल नम्बर भी अंकित करें।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सूचनाएं सही है एवं किसी भी प्रकार की जरूरत असत्य के लिए मे व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हूँ।

स्थानः—

दिनांकः—

#### हस्ताक्षर

(पत्रकार का नाम)

अधिस्वीकरण कार्ड संख्या